भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2056
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

साफ़-सफाई और स्वच्छता पहलों की प्रभावशीलता

†2056. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई और स्वच्छता पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई बेंचमार्क या प्रदर्शन संबंधी संकेतक निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए; और
(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से आकांक्षी जिलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता, निगरानी तंत्र और कार्यान्वित किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II [एसबीएम(जी) -चरण II] एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सरकारों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। एसबीएम(जी)-चरण II को 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता और दृष्टिगत स्वच्छता अर्थात् गांव को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने के साथ सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था से कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस के रूप में घोषित करने के बेंचमार्क और वर्गीकरण इस प्रकार हैं: -

- **ओडीएफ प्लस उदीयमान**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रख रहा है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है;
- **ओडीएफ प्लस उज्जवल**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है और इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है;
- **ओडीएफ प्लस उत्कृष्ट**: ऐसा गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृश्यगत स्वच्छता, अर्थात न्यूनतम कूड़े, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक कचरा डंप नहीं किया जाता है; और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं।

(ग) भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] शुरू किया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत बनाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2014 से 2019 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 02.10.2014 को 39% से बढ़कर 100% पहुँच गया है और सभी गांवों ने 2019 में स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया है। एसबीएम(जी)- चरण-II एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता और दृष्टिगत स्वच्छता अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने सहित सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था से कवर करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्यान्वित किया गया है।

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता और एसएलडब्ल्यूएम में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती रही है। डीडीडब्ल्यूएस (केन्द्र का हिस्सा) और राज्य के हिस्से से बजटीय सहायता के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यथा प्रयोज्य, दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त आयोग के अनुदानों और विभिन्न केन्द्रीय/राज्य स्कीमों के माध्यम से निधियों का सामंजस्य पूर्ण उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा, एसबीएम(जी) चरण-II के अंतर्गत इस विभाग द्वारा घटक-वार अथवा परियोजना-वार अथवा आकांक्षी जिलों के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी समग्र एआईपी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों के गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मांग के अनुसार स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना सकते हैं। बजटीय सहायता प्रदान करने के अलावा, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) कार्यसंबंधी दिशानिर्देश, एडवायजरी जारी करता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

एसबीएम(जी) चरण- II के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई केंद्रीय हिस्से की निधि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नलिखित डिजिटल निगरानी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है:-

(i) एसबीएम-जी पोर्टल और डैशबोर्ड: एक केंद्रीकृत पोर्टल (https://swachhbharatmission.ddws.gov.in) और डैशबोर्ड (https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx) का उपयोग एसबीएम(जी) के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। एसबीएम(जी) डैशबोर्ड खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस स्थिति, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परिसंपत्तियों तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सहित एसबीएम(जी) के विभिन्न घटकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को दर्शाता है।

(ii) मोबाइल एप्लीकेशन: एसबीएम(जी) के तहत एमएसबीएम और एसबीएम 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं जिनका उपयोग क्रमशः आईएचएचएल की जियो-टैगिंग तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों (सीएससी सहित) की जियोटैगिंग के लिए किया जाता है। एसबीएम 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन भी कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों को दर्शाता है।

एसबीएम(जी) चरण II केवल ओडीएफ प्लस गांवों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई की परिपाटियों को अपनाने के लिए जनता के व्यवहार में बदलाव लाना है। तदनुसार, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है, जो कार्यक्रम में सतत व्यवहारवादी परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी जनभागीदारी की नींव रखता है। यह कार्यक्रम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के सामुदायिक स्वामित्व को भी मजबूत करता है। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वच्छता, साफ-सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईईसी अभियानों का विकास तथा कार्यान्वयन करना होता है। एसबीएम(जी) चरण-II के तहत, आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यकलापों के लिए, कुल परियोजना निधियों के 5% तक के व्यय की अनुमति है, जिसमें 2% तक का उपयोग केन्द्रीय स्तर पर और 3% तक का उपयोग राज्यों/जिला स्तर पर किया जाना है।

अनुबंध

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2056 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार 2020-21 से 2025-26 तक एसबीएम (जी) चरण- II के तहत जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा

(करोड़ रु.में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.07	0	0.29	0.75	1.6	0
आंध्र प्रदेश	212.27	58.26	147.03	0	75.52	166.45
अरुणाचल प्रदेश	15.28	4.1	14.72	15.81	7.41	4.51
असम	276.81	256.78	214.45	389.77	105.21	163.46
बिहार	88.56	128.01	711.49	700	166.51	490.75
छत्तीसगढ़	68.43	0	177.54	83.98	0	68.27
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1.65	0	0	0	0	0.57
गोवा	0.23	15.32	25.18	19.61	9.7	4.57
गुजरात	312.56	171.36	53.63	109.61	151.4	249.3
हरियाणा	80.6	29.95	0	0	25.11	9.25
हिमाचल प्रदेश	23.62	41.95	38.28	42	28.65	46.71
जम्मू एवं कश्मीर	24.89	120	116.79	241.33	185	158.75
झारखंड	153.31	0	70.03	50	0	66.79
कर्नाटक	126.31	0	155.84	42.34	95.27	87.74
केरल	103.73	5.66	74	0	11.66	27.12
लद्दाख	2.71	3.56	1.28	5.75	2.55	8.39
लक्षद्वीप	0	0	1.94	0	0	0
मध्य प्रदेश	291.48	334.48	184.56	113.39	121.05	46.54
महाराष्ट्र	276.75	0	0	110.45	189.14	436.73
मणिपुर	17.51	12.09	12.86	0	0	0
मेघालय	65.41	36.56	16.57	20.81	0	45.28
मिजोरम	14.05	13.22	9.84	4.98	8.84	8.85
नागालैंड	22.17	9.01	19.72	31 .07	20.69	30
ओडिशा	58.92	0	0	46.52	111.26	112.91
पुदुचेरी	0.11	0	0	0	0	4.27
पंजाब	65.94	0	42.05	54.81	41 .3	48.37
राजस्थान	229.26	275.93	288.78	69.43	98.18	173.29
सिक्किम	6.15	4.49	5.79	6.66	7.6	6.27
तमिलनाडु	162.89	0	78.47	239.74	99.56	246.91
तेलंगाना	46.86	0	0	14.18	9.56	28.6
त्रिपुरा	24.33	17.14	28.28	35.79	21.78	56.73
उत्तर प्रदेश	800.32	370.59	910.23	2506.71	785.64	577.5
उत्तराखंड	50.69	14.25	37.29	63.75	8.89	22.91
पश्चिम बंगाल	261.31	135.45	406.01	720	150.47	512.45
कुल	**3892.17**	**2058.15**	**3842.94**	**5739.24**	**2539.55**	**3910.24**